

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 4(2)(2)/नपा./रानिआ/2022/11573

दिनांक: 10-11-2022

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषति,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) जयपुर।

विषय:- नगरनिगम जयपुर ग्रेटर के महापौर पद पर उपचुनाव के संबंध में।

सन्दर्भ:- श्री एम.एस. सहारण अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता श्रीमती सौम्या गुर्जर का ईमेल दिनांक 10.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री एम.एस.सहारण द्वारा अवगत करवाया गया है कि एस.बी.सिविल रिट संख्या 15659/2022 सौम्या गुर्जर बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर द्वारा आज दिनांक 10.11.2022 को निर्णय पारित कर डॉ. सौम्या गुर्जर को नगरनिगम जयपुर ग्रेटर के महापौर पद से हटाये (remove) जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.09.2022 को अपास्त (set aside) कर दिया गया है। उक्त स्थित को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता ने नगरनिगम ग्रेटर जयपुर के महापौर पद हेतु आयोग द्वारा करवाये जा रहे उक्त उपचुनावों की प्रक्रिया को रोकने (stop) का निवेदन किया है।

चूंकि अभी तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 10.11.2022 की प्रति ना तो माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड हुई है और ना ही उक्त आदेश की प्रति माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त हुई है।

अतः मामले में नगरनिगम जयपुर ग्रेटर के महापौर पद पर करवाये जा रहे उपचुनाव की प्रक्रिया को तुरन्त रोक दिया जावे। मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.2022 की प्रति आयोग को प्राप्त होने पर आगामी निर्णय लिया जावेगा।

आज्ञा से,
चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग